

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 406 / 2019

1 रणजीत सिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. भजनसिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. बलजीत कौर पुत्री भजनसिंह पत्नी महावीरसिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं० 201 डिफेन्स कॉलोनी, अमृतसर हाल आबाद ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया।
3. गुरपीत कौर पुत्री भजनसिंह पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी अमृतसर कलां तहसील ऐजनाबाद जिला सिरसा हरि०।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 14/11/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील हरविन्द सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 2 टीएल डबल्यू पटवार हल्का तलवाड़ा के प०न० 232 / 236 मु० 17 किलानं० 5 / 1 / .202. 5 / 2 / .051, 6 / 1 / .202, 6 / 2 / .051, प०न० 232 / 295 मु० 12 किलानं० 16 / .177, 25, प०न० 233 / 295 मु० 13 किलानं० 21 प०न० 233 / 296 मु० 16 किलानं० 1,2,3,10 कुल 2.2010 है० मय गै०मु० आराजी का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक चक 2 टीएल डबल्यू के खाता सं० 53 / 44 में से प्रतिवादीसं० 1 भजनसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 14/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साध्यनारायण भन्स)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एकडेनाहाराक कलक्टर टिब्बी।